

R-1873-III/03
R. 873-III/03

1. इन्द्रपाल तनय श्री चन्द्रभाल सिंह
2. सत्यभान C.C. 81
3. मौजी लाल सिंह
4. श्यामलाल सिंह पिता तनय श्री पित्रपाल सिंह

सभी निवासी ग्राम अर्जुनपुर पैकान तह० हनुमना जिला रीवा म०१०

निगरानीकर्तागण

कनाम

1. वसुधोपाल तनय पारसनाथ बा०
2. बट्टी प्रसाद तनय रामकृपाल मिश्र

समस्त निवासी ग्राम अर्जुनपुर तह० हनुमना जि० रीवा-----गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश 31.10.96

प्रकरण क्रमांक 228 निगरानी 96-97

पारित आदेश द्वारा अपर आयुक्त रीवा

सम्भाग रीवा अन्तर्गत धारा 50 म० १

भू- राजस्व संहिता 1959

M
4.11.96

क्रमांक 28 - III
 श्री सुरेशचन्द्र सिंह
 तहसील अर्जुनपुर जिला रीवा 4.11.96
 श्री प्रसाद
 4.11.96
 राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

-----00-----

1. यह कि अधीनस्थ अदालत का आदेश विधि प्रक्रिया पथा व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
2. यह कि विवादित आराजियाते निगरानीकर्ता के भू- स्वामित्व व कब्जा की जमीने है, व गैर निगरानी कर्ता अपने नाम गलत व अवैध कि टंम से बिना प्रक्रिया का पालन किये हुये अपने नाम नामांतरण करा लिखा था जिसमें अपील निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ अदालत अनुविभागीय अधिकारी तह० हनुमना में दायर किया था


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मसंक्रमा क्र०-R.1873-III/04

जिला-रीवा

इन्द्रपाल सिंह वगैरः/वंशगोपाल वगैरः

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदकगण की तलवी हेतु तलवाना भी जमा किया जा रहा है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	